गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों का मुद्दा (THE ISSUE OF NON-PERFORMING ASSETS)

प्रस्तावना:

भारत का बैंकिंग क्षेत्र NPA की समस्या से प्रभावित है।
NPA, बैंकों द्वारा दिये गए ऐसे ऋण होते हैं, जिनके ब्याज या किस्त के भुगतान को लेकर 90 दिन से अधिक का विलंब हो जाता है।
NPA के उच्च स्तर के कारण जमाकर्ताओं का बैंकों के प्रति विश्वास कमजोर हो जाता है और Bank-run जैसी विषम समस्या खड़ी हो जाती है। Bank-run में सभी जमाकर्ता अपनी जमाएँ वापस लेने लगते हैं।

NPA का स्तर:

रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई Financial Stability Report, June 2022 के अनुसार मार्च 2022 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में NPA का औसत अनुपात पाया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि NPA का सर्वाधिक अनुपात सरकारी बैंकों में है, जबकि सबसे कम अनुपात विदेशी बैंकों में है।

IBC (Insolvency and Bankruptcy Code):

इसे 2016 में लागू किया गया है। यह व्यावसायिक संस्थाओं के दिवालियेपन (Insolvency) के मामलों को समयाबद्ध ढंग से निपटाने के लिये लाई गई है। इसे गैर-वित्तीय व्यावसायिक संस्थानों पर लागू किया गया है। इसमें बकाया ऋणों की समस्या को 330 दिन की अवधि में निपटाने की कोशिश की जाती है। यदि समाधान नहीं हो पाता है तो व्यावसायिक संस्था के विघटन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है।

बैड बैंक (Bad Bank):

बैंकों के बुरे ऋणों को खरीदने के लिये NARCL (National Asset Reconstruction Company Ltd.) की स्थापना एक बैड बैंक के रूप में की गई है।
इसके निर्माण में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के बैंकों द्वारा भागीदारी की जाती है, लेकिन बहुमत सार्वजनिक बैंकों का रखा गया है। NARCL द्वारा 500 crore से अधिक मूल्य के NPAs का अधिग्रहण किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक NPA का मूल्य 500 crore से अधिक का होना चाहिये।
NPA खरीदते समय NARCL द्वारा 15% नकद और शेष राशि के लिये विशेष प्रतिभूतियाँ दी जाएँगी, जिन्हें Securitisation Receipts कहते हैं। इनके भुगतान पर गारंटी देने के लिये भारत सरकार द्वारा एक Back-Stop Facility को शुरू किया गया है।

Note: -

NPA से जुड़ी संपत्तियों के रखरखाव, प्रबंधन आदि के लिये IDRCL (India Debt Resolution Company Ltd.) की स्थापना भी की गई है।

टोकनाइजेशन (Tokenisation)

यह वह प्रक्रिया होती है, जिसमें लेन-देन करते समय डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मूल सूचनाओं को एक वैकल्पिक अंक (जिसे टोकन कहा
जाता है) के द्वारा छिपा दिया जाता है, ताकि उनका दुरुपयोग नहीं हो।
रिजर्व बैंक द्वारा इस सेवा को उपलब्ध करवाने की कोई फीस नहीं रखी गई है। इस सेवा को कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से हटवा सकता है।

जमा बीमा (Deposit Insurance)

भारत में जमा बीमा की शुरुआत 1961 में की गई थी। जमा बीमा की सेवा रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।
वर्तमान में जमा बीमा के अंतर्गत बैंकों में जमा की गई 5 लाख तक की राशि पर DICGC द्वारा गारंटी दी जाती है। यदि किसी कारण से कोई बैंक ₹ 5 लाख की जमाओं का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका भुगतान DICGC द्वारा किया जाता है।

The RBI Retail Direct

सरकारी प्रतिभूतियों में छोटे निवेशकों (Retail-investors) की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है।
इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास एक डीमेट खाता खुलवाना होता है, जिसे RDG (Retail Direct Gilt) A/C कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोग सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में भागीदारी कर सकते हैं।
द्वितीयक बाजार का संचालन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसे NDS-OM (Negotiated Dealing System-Order Matching) कहा जाता है।

Financial Inclusion Index (वित्तीय समावेशन सूचकांक)

रिज़र्व बैंक द्वारा इसे तैयार किया जाता है। यह देश में वित्तीय समावेशन के स्तर का मापन करता है। इसमें निम्न तीन मानकों का प्रयोग किया जाता है-

(i) Access
(ii) Usage
(iii) Quality

इन तीनों मानकों के अंतर्गत विभिन्न सूचकों का प्रयोग किया गया है, जिनकी कुल संख्या 97 है।

Digital Payment Index

इसे रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। यह देश में डिजिटल पेमेंट की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
इसकी आधार अवधि मार्च 2018 मानी गई है, जिसमें इनका मूल्य 100 माना गया है। इसमें निम्न 5 प्रकार के मानकों का प्रयोग किया
गया है-

1. Payment Enablers
2. Payment Infra (Demand Side)
3. Payment Infra (Supply Side)
4. Payment Performance
5. Consumer Centricity

भारत की बैंकिंग संरचना

इसे एक चित्र के माध्यम से दिखाया जा सकता है-

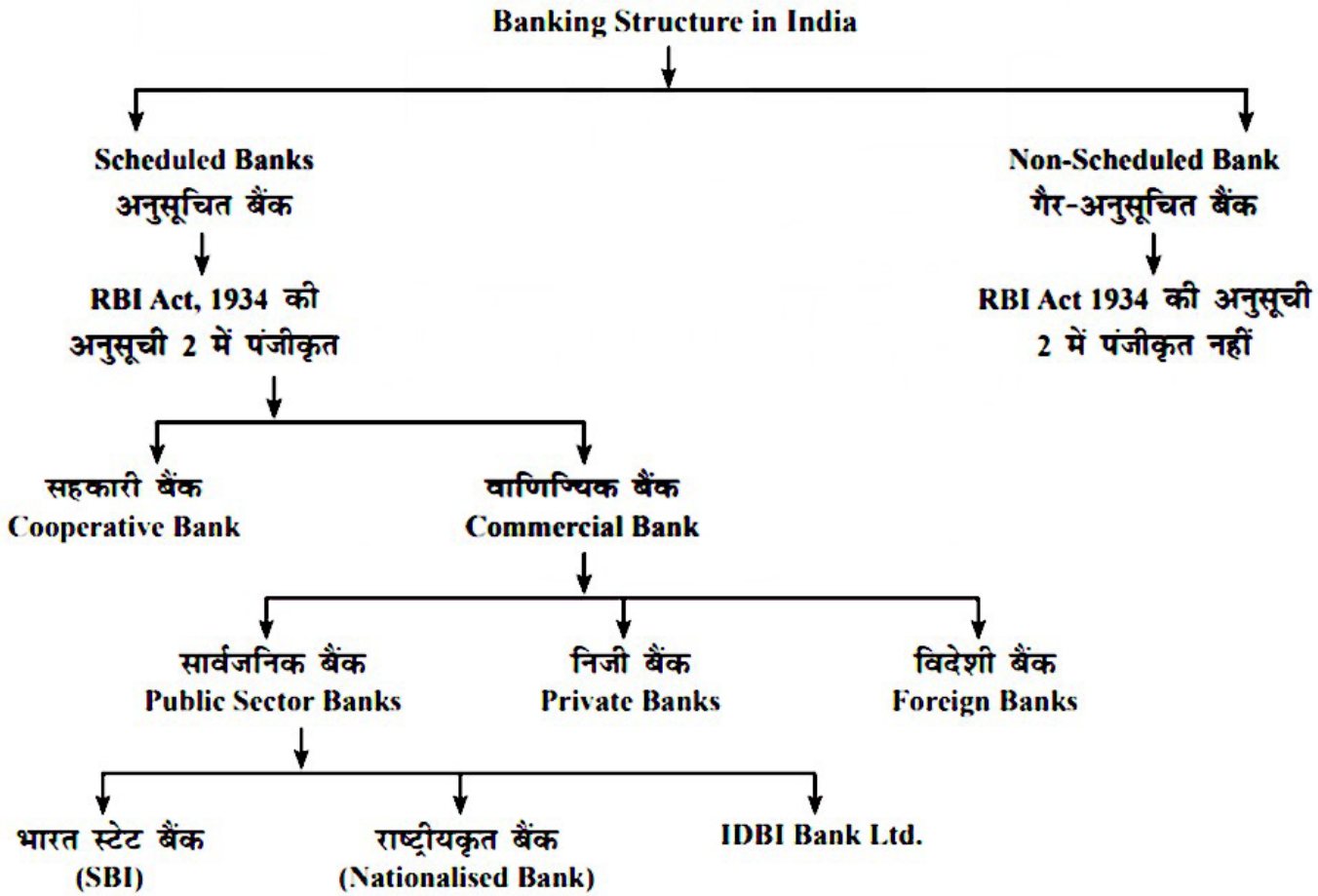

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs = Non-Banking Financial Companies)

अर्थ- ये भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत वित्तीय कंपनियाँ होती हैं। इनकी संपत्ति और आय का 50% से अधिक भाग वित्तीय होता है। प्रकार- जमाओं के आधार पर इनके निम्न वर्गीकरण होते हैं-

(i) NBFC-D

ये जमाएँ ले सकते हैं।

(ii) NBFC-ND

ये जमाएँ नहीं ले सकते हैं।

(iii) NBFC-ND - SI

ये जमाएँ नहीं ले सकते हैं। इनका आकार बड़ा होता है।

इनका कार्यों के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, जैसे कि IFC (Infrastructure Finance Company), MFI (Micro Finance Institute) आदि।

नए वर्गीकरण:

(i) NBFC-AA (Account Aggregator)

ये सभी वित्तीय सूचनाओं को एक ही स्थान पर रखने का कार्य करते हैं।

(ii) NBFC-P2P (Peer to Peer)

ये उधार लेने और देने वालों को एक IT Platform उपलब्ध करवाते हैं, जिसका प्रयोग करके लोग आपस में धन का लेन-देन कर सकते हैं।

बैंक और NBFC में अंतर:

(i) बैंक मांग जमाओं का सृजन कर सकते हैं, जबकि NBFC ऐसा नहीं कर सकते हैं।

(ii) बैंकों में जमा 5 लाख तक की राशि पर रिजर्व बैंक की गारंटी होती है, जबकि NBFC में जमाओं पर गारंटी नहीं होती है।

NBFC का नियमन:

कुछ अपवादों को छोड़कर, इनका नियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

NBFC के ATM:

NBFC के ATM को White-Label ATM कहते हैं।

आभासी मुद्राएँ (Virtual Currencies)

आभासी मुद्राएँ पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक होती हैं तथा इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें Crypto-Currencies भी कहते हैं। इनके संचालन के दो मुख्य आधार होते हैं-

(i) Blockchain Technology
आभासी मुद्राओं के दो मुख्य वर्गीकरण होते हैं-

(ii) Decentralised Ledger Technology

(iii) Bitcoin

(iv) Altcoin - इसमें बिटकॉइन को छोड़कर अन्य आभासी मुद्राओं को सम्मिलित किया जाता है।

CBDC (Central Bank Digital Currency)

A. यूनियन बजट 2022-23 में प्रस्तावित

B. October 2020 में बहामास द्वारा विश्व की पहली CBDC लागू की गई।

C. भारत में CBDC की आवश्यकता क्यों?

1. निजी आभासी मुद्राएँ (Bitcoin आदि) न केवल Un-regulated होती हैं बल्कि ये Volatile (कीमत में उतार-चढ़ाव) भी होती हैं, इससे लोगों को नुकसान पहुँचता है।
2. भौतिक मुद्रा के प्रकाशन व वितरण की लागत आभासी मुद्रा की तुलना में कई गुना अधिक होती है।
3. Digital Currency के भुगतान Final (अंतिम) होते हैं। इनमें पेमेंट Failure का जोखिम नहीं होता, क्योंकि कोई मध्यवर्ती नहीं होता।

D. बैंकों पर प्रभाव:

1. बैंकों की जमाएँ कम हो सकती हैं क्योंकि लोग जमाओं को CBDC में परिवर्तित करवा सकते हैं, ऐसी स्थिति में बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी।
2. बैंकों की देयताएँ कम हो जाएँगी।
1. रिज़र्व बैंक की देयता बढ़ जाएगी, क्योंकि (मैं धारक को अदा.....) यह तो रहेगा ही, क्योंकि RBS की गारंटी रहेगी।

Note: - अन्य आभासी मुद्राओं की तरह इसका तकनीकी आधार भी Block-Chain Tech है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR